भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
उर्वरक विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1201

जिसका उत्तर शुक्रवार, 6 फरवरी, 2026/17 माघ, 1947 (शक) को दिया जाना है।

उर्वरकों की उपलब्धता

1201. श्री कुंदुरु रघुवीर:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश भर में बुआई के चरम समय के दौरान उर्वरकों, विशेषरूप से यूरिया, डीएपी और कॉम्प्लेक्स उर्वरकों की उपलब्धता की पर्याप्तता की समीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या पिछले तीन कृषि मौसमों के दौरान कमी, आपूर्ति में देरी या असमान वितरण का कोई मामला सामने आया है और यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) विशेषरूप से लघु और सीमांत किसानों के लिए अधिसूचित कीमतों पर उर्वरकों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
(घ) क्या सरकार रियायती उर्वरकों के अपवर्तन, जमाखोरी या कालाबाजारी की निगरानी करती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ड.) किसानों को परेशानी से बचाने के लिए आपूर्ति श्रृंखला नियोजन, बफर स्टॉकिंग और वास्तविक-समय निगरानी को मजबूत करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ड): देश में उर्वरकों की समय पर और पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा प्रत्येक मौसम में निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैं –

(i) प्रत्येक फसल मौसम शुरू होने से पहले, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएण्डएफडब्ल्यू), सभी राज्य सरकारों के परामर्श से उर्वरकों की राज्य-वार और माह-वार आवश्यकता का आकलन करता है।

(ii) कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएण्डएफडब्ल्यू) द्वारा अनुमानित आवश्यकता के आधार पर, उर्वरक विभाग मासिक आपूर्ति योजना जारी करके राज्यों को पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों का आवंटन करता है और उपलब्धता की लगातार निगरानी करता है।

(iii) देश भर में सब्सिडी प्राप्त सभी प्रमुख उर्वरकों के संचलन की निगरानी एकीकृत उर्वरक प्रबंधन प्रणाली (आईएफएमएस) नामक एक ऑनलाइन वेब आधारित निगरानी प्रणाली द्वारा की जाती है।

(iv) राज्य सरकारों को नियमित रूप से सलाह दी जाती है कि वे समय पर मांगपत्र जारी करके आपूर्ति को सुव्यवस्थित करने के लिए उत्पादकों और आयातकों के साथ समन्वय स्थापित करें।

(v) जिला स्तर पर राज्य के भीतर उर्वरकों का वितरण संबंधित राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

इसके अलावा, पिछले तीन मौसमों अर्थात खरीफ 2024, रबी 2024-25 और खरीफ 2025 मौसम के दौरान राज्यों में उर्वरकों जैसे यूरिया, डीएपी, एमओपी और एनपीकेएस की उपलब्धता पर्याप्त रही है। उक्त मौसमों के दौरान इन उर्वरकों की आवश्यकता, उपलब्धता और बिक्री के संबंध में राज्य-वार सूचना **अनुलग्नक-क** में दी गई है।

इसके अलावा, किसानों को वहनीय मूल्यों पर यूरिया की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दृष्टि से यूरिया सब्सिडी स्कीम के अंतर्गत यूरिया की आपूर्ति सांविधिक रूप से अधिसूचित अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) पर की जाती है। 45 किग्रा यूरिया की बोरी का एमआरपी 242 रुपए (नीम लेपन के प्रभार और यथा लागू करों को छोड़कर) है। फार्म गेट पर यूरिया की सुपुर्दगी लागत और यूरिया इकाइयों द्वारा निवल बाजार प्राप्ति के बीच का अंतर भारत सरकार द्वारा यूरिया उत्पादक/आयातक को सब्सिडी के रूप में दिया जाता है। तदनुसार, सभी किसानों को सब्सिडी प्राप्त दरों पर यूरिया की आपूर्ति की जा रही है।

इसके अतिरिक्त, फॉस्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त (पीएंडके) उर्वरकों के लिए, सरकार ने दिनांक 01.04.2010 से पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) नीति लागू की है। एनबीएस नीति के तहत, पीएंडके उर्वरकों को मुक्त सामान्य लाइसेंस (ओजीएल) के तहत शामिल किया गया है और कंपनियां अपने व्यावसायिक उतार-चढ़ाव के अनुसार इन उर्वरकों का आयात/उत्पादन करने के लिए स्वतंत्र हैं। एनबीएस सब्सिडी अधिसूचित पीएंडके उर्वरकों पर उनमें निहित पोषक तत्वों की मात्रा के आधार पर मौसम के दौरान उनकी पीओएस बिक्री पर निर्माता/आयातक को प्रदान की जाती है ताकि किसानों को उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। पीएंडके उर्वरकों के लिए एनबीएस दरें निर्धारित करते समय प्रमुख उर्वरकों और कच्चे माल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में उतार-चढ़ाव पर विचार किया जाता है ताकि किसानों के लिए उर्वरक वहनीय बने रहें।

इसके अलावा, रबी मौसम 2025-26 के लिए डीएपी को 1350 रूपए प्रति 50 किलोग्राम बोरी की किफायती कीमत पर उपलब्ध कराने के लिए, एनबीएस सब्सिडी के अतिरिक्त विशेष प्रावधान जैसे 'अन्य लागतों', जिनमें कारखाने के गेट से फार्म गेट तक की लागत, अंतरराष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि/कमी के कारण लाभ/नुकसान शामिल हैं, को कवर करने के लिए 3500 रु प्रति मीट्रिक टन का प्रावधान, एमआरपी में शामिल जीएसटी घटक के लिए प्रावधान और निवल एमआरपी (एमआरपी-जीएसटी) के 4% की दर से उचित रिटर्न का प्रावधान आयातित और घरेलू डीएपी दोनों तथा आयातित ट्रिपल सुपर फॉस्फेट (टीएसपी) के लिए किया गया है ताकि उर्वरकों की कीमतों को स्थिर रखा जा सके।

इसके अतिरिक्त, विपथन, जमाखोरी और कालाबाजारी जैसे मुद्दों का समाधान करने के लिए उर्वरकों को आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत एक आवश्यक वस्तु के रूप में घोषित किया गया है और उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के तहत अधिसूचित किया गया है। आवश्यक वस्तु अधिनियम के उपबंधों के अनुसार राज्य सरकारों को उक्त कदाचारों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। इन कदाचारों के संबंध में उर्वरक विभाग स्तर पर प्राप्त होने वाली कोई भी शिकायत आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 के अंतर्गत उचित कार्रवाई करने के लिए संबंधित राज्य सरकार को भेजी जाती है। तदनुसार, इन कदाचारों को रोकने के लिए दिनांक 01.04.2025 से दिनांक 30.01.2026 तक राज्यों द्वारा किए गए प्रवर्तन उपायों के बारे में जानकारी **अनुलग्नक-ख** में दी गई है।

अनुलग्नक-क

यह अनुलग्नक दिनांक 06.02.2026 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं.1201 के उत्तर के भाग (क) से (ड.) से संबंधित है।

खरीफ 2025 के दौरान उर्वरकों की राज्य-वार आवश्यकता, उपलब्धता और बिक्री

आंकड़े एलएमटी में

		यूरिया			डीएपी			एमओपी			एनपीकेएस		
क्र.सं.	राज्य	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	आंध्र प्रदेश	6.22	8.71	7.50	2.60	3.43	2.56	0.70	1.33	0.87	6.30	9.35	6.45
3	अरुणाचल प्रदेश	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	असम	1.70	2.68	2.34	0.28	0.52	0.27	0.21	0.41	0.27	0.23	0.36	0.19
5	बिहार	10.32	12.47	10.74	2.20	3.62	1.91	0.50	1.09	0.40	2.50	4.74	2.31
6	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	छत्तीसगढ़	7.12	7.87	7.25	3.10	2.52	2.13	0.60	0.84	0.68	1.80	2.48	2.19
8	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	दिल्ली	0.11	0.12	0.10	0.02	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	गोवा	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.02	0.02
12	गुजरात	11.12	11.83	10.04	3.40	3.18	2.41	0.45	0.71	0.39	2.95	5.93	4.34
13	हरियाणा	10.07	13.33	11.31	2.83	3.60	2.76	0.28	0.53	0.29	0.37	0.95	0.58
14	हिमाचल प्रदेश	0.33	0.55	0.36	0.01	0.04	0.03	0.00	0.02	0.01	0.15	0.20	0.11
15	जम्मू और कश्मीर	0.78	1.25	0.91	0.22	0.25	0.21	0.08	0.15	0.12	0.01	0.02	0.02
16	झारखंड	1.70	2.23	1.91	0.55	0.71	0.46	0.05	0.06	0.03	0.35	0.75	0.51
17	कर्नाटक	11.17	12.63	11.07	4.00	4.77	3.60	1.30	2.08	1.48	9.90	17.46	13.68
18	केरल	0.52	0.73	0.59	0.12	0.18	0.11	0.40	0.57	0.47	0.69	0.89	0.64
19	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	मध्य प्रदेश	17.42	21.24	18.26	7.50	7.41	5.47	0.50	0.81	0.49	5.00	8.79	6.07
21	महाराष्ट्र	15.52	19.11	15.72	4.60	4.66	3.10	1.20	2.39	1.59	18.00	25.29	18.79
22	मणिपुर	0.11	0.13	0.12	0.02	0.03	0.02	0.01	0.02	0.00	0.01	0.01	0.01
23	मेघालय	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	मिजोरम	0.07	0.10	0.09	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	नागालैंड	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	ओडिशा	4.30	5.86	5.30	2.00	2.32	1.96	0.60	0.69	0.53	2.40	3.30	2.75
27	पुदुचेरी	0.07	0.08	0.07	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.04	0.05	0.04
28	पंजाब	14.92	19.19	15.94	2.85	3.86	2.36	0.50	0.70	0.32	0.50	1.27	0.66
29	राजस्थान	10.52	14.36	11.20	5.10	5.04	4.04	0.10	0.17	0.08	1.50	2.43	1.39
30	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	तमिलनाडु	4.37	6.07	5.06	1.40	2.01	1.29	0.80	1.33	0.96	4.11	5.50	3.91
32	तेलंगाना	9.80	10.28	9.79	2.40	2.88	2.38	0.55	0.81	0.44	10.00	11.19	8.97
33	त्रिपुरा	0.08	0.16	0.09	0.02	0.03	0.02	0.01	0.03	0.01	0.03	0.02	0.01
34	उत्तराखंड	1.00	1.35	1.16	0.15	0.38	0.23	0.02	0.07	0.02	0.15	0.13	0.09
35	उत्तर प्रदेश	39.92	48.93	40.24	10.00	12.45	7.70	1.25	1.64	0.65	5.00	8.36	3.64
36	पश्चिम बंगाल	6.10	9.18	6.00	1.60	2.46	1.28	1.00	1.59	0.81	4.10	7.58	4.13
	अखिल भारत	**185.39**	**230.51**	**193.21**	**56.99**	**66.38**	**46.33**	**11.13**	**18.08**	**10.94**	**76.11**	**117.09**	**81.49**

रबी 2024-25 के दौरान उर्वरकों की राज्य-वार आवश्यकता, उपलब्धता और बिक्री

आंकड़े एलएमटी में

		यूरिया			डीएपी			एमओपी			एनपीकेएस		
क्र.सं.	राज्य	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	आंध्र प्रदेश	9.40	12.37	9.38	2.00	2.77	2.33	0.80	1.69	1.02	9.00	12.35	9.91
3	अरुणाचल प्रदेश	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	असम	1.65	2.54	2.17	0.25	0.44	0.36	0.28	0.52	0.29	0.35	0.44	0.29
5	बिहार	13.00	17.21	15.19	3.00	4.59	4.05	1.15	2.21	1.51	4.00	5.30	3.92
6	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	छत्तीसगढ़	2.40	4.84	2.87	0.70	1.34	0.94	0.15	0.55	0.18	0.60	1.00	0.55
8	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	दिल्ली	0.15	0.24	0.21	0.00	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	गोवा	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01
12	गुजरात	13.75	15.09	13.50	2.75	3.22	2.81	0.64	0.91	0.66	4.00	6.11	4.49
13	हरियाणा	11.20	15.28	12.59	2.60	2.89	2.74	0.30	0.49	0.21	1.20	0.97	0.68
14	हिमाचल प्रदेश	0.37	0.47	0.31	0.01	0.02	0.02	0.03	0.04	0.02	0.21	0.28	0.19
15	जम्मू और कश्मीर	0.70	1.30	0.61	0.25	0.41	0.25	0.13	0.20	0.07	0.02	0.02	0.00
16	झारखंड	1.00	2.09	1.70	0.25	0.45	0.41	0.03	0.03	0.02	0.30	0.58	0.35
17	कर्नाटक	6.50	11.05	7.62	1.74	2.74	1.99	0.65	1.83	0.98	6.30	13.16	8.73
18	केरल	0.57	0.85	0.63	0.07	0.11	0.10	0.40	0.68	0.45	0.60	0.88	0.65
19	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	मध्य प्रदेश	20.00	24.89	20.52	8.00	6.97	5.90	0.60	1.15	0.64	6.00	7.18	5.04
21	महाराष्ट्र	10.00	17.20	10.88	2.50	3.32	2.51	1.00	2.31	1.10	12.00	19.34	10.45
22	मणिपुर	0.10	0.06	0.03	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02	0.01	0.00
23	मेघालय	0.02	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	मिजोरम	0.01	0.15	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	नागालैंड	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	ओडिशा	1.85	3.42	1.92	0.70	1.04	0.77	0.25	0.55	0.21	0.75	1.62	0.86
27	पुदुचेरी	0.09	0.09	0.08	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	0.04	0.07	0.05
28	पंजाब	15.00	19.47	15.30	4.50	4.24	3.86	0.50	0.73	0.37	1.50	1.29	0.97
29	राजस्थान	15.00	18.85	15.82	3.00	3.52	3.33	0.10	0.20	0.12	1.50	2.05	1.56
30	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	तमिलनाडु	6.00	8.17	6.49	1.30	1.95	1.54	1.20	1.82	1.21	6.00	6.62	4.95
32	तेलंगाना	9.80	12.47	10.43	1.50	1.74	1.46	0.70	0.95	0.66	7.00	8.86	6.42
33	त्रिपुरा	0.10	0.17	0.10	0.01	0.02	0.01	0.02	0.05	0.03	0.01	0.03	0.02
34	उत्तराखंड	1.03	1.31	1.02	0.15	0.37	0.25	0.05	0.07	0.02	0.20	0.18	0.11
35	उत्तर प्रदेश	39.00	52.73	40.18	15.00	14.51	12.49	1.25	2.01	1.28	8.50	9.40	7.08
36	पश्चिम बंगाल	8.20	12.50	9.13	1.75	2.46	1.99	1.70	2.52	1.69	7.00	9.95	6.96
	अखिल भारत	**186.89**	**254.85**	**198.81**	**52.05**	**59.18**	**50.17**	**11.95**	**21.55**	**12.76**	**77.10**	**107.72**	**74.26**

खरीफ 2024 के दौरान उर्वरकों की राज्य-वार आवश्यकता, उपलब्धता और बिक्री

आंकड़े एलएमटी में

		यूरिया			डीएपी			एमओपी			एनपीकेएस		
क्र.सं.	राज्य	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री	आवश्यकता	उपलब्धता	डीबीटी बिक्री
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	आंध्र प्रदेश	6.50	8.72	6.32	2.30	2.54	2.01	0.70	1.11	0.69	7.00	9.84	5.88
3	अरुणाचल प्रदेश	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	असम	1.63	2.60	1.93	0.36	0.40	0.26	0.19	0.36	0.28	0.20	0.34	0.19
5	बिहार	9.87	14.01	10.41	2.50	2.58	1.78	0.35	0.78	0.33	2.00	4.06	2.12
6	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	छत्तीसगढ़	6.50	8.63	7.20	3.40	3.13	2.89	0.58	0.84	0.59	1.20	2.20	1.80
8	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	दिल्ली	0.08	0.22	0.18	0.01	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	गोवा	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.02	0.02
12	गुजरात	11.85	13.13	10.73	3.50	3.22	2.61	0.35	0.64	0.26	3.00	5.68	3.86
13	हरियाणा	10.30	14.04	10.05	3.20	3.14	2.60	0.30	0.56	0.26	0.50	0.77	0.34
14	हिमाचल प्रदेश	0.34	0.46	0.35	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02	0.01	0.16	0.19	0.13
15	जम्मू और कश्मीर	0.78	1.13	0.75	0.24	0.28	0.17	0.09	0.10	0.07	0.02	0.01	0.00
16	झारखंड	1.65	2.63	2.02	0.65	0.55	0.42	0.03	0.04	0.02	0.35	0.66	0.50
17	कर्नाटक	10.75	15.13	11.55	3.90	4.38	3.87	1.30	1.89	1.24	9.90	17.06	12.17
18	केरल	0.54	0.73	0.52	0.10	0.13	0.10	0.42	0.50	0.38	0.77	0.96	0.61
19	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	मध्य प्रदेश	15.38	23.06	17.57	8.57	6.78	5.75	0.45	1.05	0.44	2.50	7.09	4.73
21	महाराष्ट्र	13.73	21.67	15.54	5.00	4.63	3.96	1.30	2.23	1.13	18.00	24.98	18.34
22	मणिपुर	0.16	0.13	0.10	0.02	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01
23	मेघालय	0.02	0.03	0.03	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
24	मिजोरम	0.07	0.11	0.10	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	नागालैंड	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	ओडिशा	4.20	6.01	4.75	2.16	2.02	1.79	0.60	0.71	0.55	2.00	3.05	2.42
27	पुदुचेरी	0.08	0.08	0.07	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.00	0.04	0.06	0.03
28	पंजाब	11.50	21.02	17.27	3.60	3.74	2.75	0.50	0.69	0.34	1.00	1.03	0.44
29	राजस्थान	11.20	14.94	10.58	5.50	4.11	3.57	0.11	0.15	0.08	0.75	1.66	0.99
30	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	तमिलनाडु	4.91	6.35	4.43	1.40	1.46	1.01	1.04	1.11	0.74	4.54	5.57	3.54
32	तेलंगाना	10.40	12.89	9.66	2.40	2.53	2.17	0.60	0.74	0.48	10.00	11.22	8.55
33	त्रिपुरा	0.08	0.19	0.07	0.03	0.01	0.01	0.01	0.06	0.01	0.03	0.03	0.02
34	उत्तराखंड	1.00	1.54	1.29	0.15	0.29	0.16	0.03	0.07	0.01	0.20	0.14	0.09
35	उत्तर प्रदेश	38.00	52.50	39.00	9.05	10.43	7.02	0.47	1.53	0.48	6.00	6.80	3.42
36	पश्चिम बंगाल	5.60	10.13	6.64	1.80	1.62	1.13	0.80	1.41	0.89	4.00	8.20	5.28
	अखिल भारत	**177.12**	**252.10**	**189.12**	**59.87**	**58.08**	**46.12**	**10.26**	**16.60**	**9.27**	**74.19**	**111.66**	**75.46**

1. सहज उपलब्धता का प्राथमिक संकेतक: उपलब्धता>आवश्यकता

2. सहज उपलब्धता का द्वितीयक संकेतक: उपलब्धता>बिक्री

अनुलग्नक-ख

यह अनुलग्नक दिनांक 06.02.2026 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं.1201 के उत्तर के भाग (क) से (ड.) से संबंधित है।

प्रवर्तन गतिविधियों का संचयी विवरण

दिनांक 01.04.2025 से 30.01.2026 तक की अवधि के दौरान कालाबाजारी, जमाखोरी, गुणवत्ता जांच तथा विपथन आदि को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा की गई कार्रवाई

		कालाबाजारी			जमाखोरी			घटिया गुणवत्ता			विपथन				कुल		
राज्य	निरीक्षण/छापों की संख्या	जारी कारण बताओ नोटिस	रद्द/निलंबित किए गए लाइसेंसों की संख्या	दर्ज एफआईआर	जारी कारण बताओ नोटिस	रद्द/निलंबित किए गए लाइसेंसों की संख्या	दर्ज एफआईआर	जारी कारण बताओ नोटिस	रद्द/निलंबित किए गए लाइसेंसों की संख्या	दर्ज एफआईआर	जारी कारण बताओ नोटिस	रद्द/निलंबित किए गए लाइसेंसों की संख्या	दर्ज एफआईआर	विवरण के साथ दोषसिद्ध*	जारी कारण बताओ नोटिस	रद्द/निलंबित किए गए लाइसेंसों की संख्या	दर्ज एफआईआर
आंध्र प्रदेश	20746	80	10	9	193	11	19	346	0	0	19	4	12	शून्य	638	25	40
अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	शून्य	0	0	0
असम	4723	12	6	1	59	0	0	46	1	0	27	0	0	शून्य	144	7	1
बिहार	22961	1241	782	116	7	0	0	5	0	0	0	0	0	शून्य	1253	782	116
छत्तीसगढ	6916	295	13	4	29	1	0	145	5	0	24	0	0	शून्य	493	19	4
दादर और नगर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	शून्य	0	0	0
दिल्ली	345	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	3	0	शून्य	3	3	1
गोवा	619	544	180	6	10	0	0	32	1	0	16	0	0	शून्य	602	181	6
गुजरात	16055	46	3	1	15	0	0	117	2	0	9	4	11	शून्य	187	9	12
हरियाणा	5139	65	15	10	24	20	5	51	12	6	13	5	6	शून्य	153	52	27
हिमाचल प्रदेश	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	शून्य	0	0	0
जम्मू और कश्मीर	4725	143	44	2	32	3	0	66	2	0	8	0	0	शून्य	249	49	2
झारखंड	759	57	20	11	32	4	0	2	0	0	1	1	0	शून्य	92	25	11
कर्नाटक	8708	368	25	1	243	5	0	244	14	2	96	6	8	शून्य	951	50	11
केरल	1585	0	0	0	0	0	0	50	0	0	4	0	4	शून्य	54	0	4
मध्य प्रदेश	6089	0	0	91	0	0	0	739	44	4	723	160	15	शून्य	1462	204	110
महाराष्ट्र	48866	16	0	16	0	0	0	1567	1354	44	1	73	2	शून्य	1584	1427	62
मणिपुर	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	शून्य	1	0	0
मेघालय	685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	शून्य	0	0	0
मिजोरम	35	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	शून्य	5	0	0
नागालैंड	77	14	0	14	0	0	0	101	0	0	2	64	1	शून्य	117	64	15
ओडिशा	7601	4	3	2	0	0	0	55	1	1	2077	110	4	शून्य	2136	114	7
पुडुचेरी	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	शून्य	0	0	0
पंजाब	6441	37	1	1	20	0	1	293	92	3	5	0	5	शून्य	355	93	10
राजस्थान	11905	652	118	47	74	40	34	506	1	2	27	22	27	शून्य	1259	181	110
तमिलनाडु	21086	14	0	4	6	8	0	33	25	0	112	17	1	शून्य	165	50	5
तेलंगाना	130333	5	9	3	4	2	0	128	0	0	4	0	5	शून्य	141	11	8
त्रिपुरा	796	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	शून्य	9	0	0
उत्तर प्रदेश	39887	2341	2901	179	164	139	11	164	151	20	88	7	14	3	2757	3198	224
उत्तराखंड	495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	0	0	शून्य	43	0	0
पश्चिम बंगाल	50267	0	0	0	0	0	0	286	0	0	0	0	0	शून्य	286	0	0
कुल	**417913**	**5935**	**4130**	**519**	**921**	**233**	**70**	**4979**	**1705**	**82**	**3304**	**476**	**115**	**3**	**15139**	**6544**	**786**